NOC

ANNEXURE-4

NOC (3)

संख्या--9784 / मं0स0 (7अ) / 2011

प्रेषक,

मंजू सिंह,
सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल मेरठ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र--2, समुदाय केन्द्र
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा (NOC) अनुभाग

मेरठ दिनांक : 01--12--2011

विषय :- आर0एन0 इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, प्लाट न0-एच0एस0-पॉकेट ओ0, पल्लवपुरम फेज-2, मेरठ को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1916 / 15-7-9(299) / 2007 दिनांक 14-07-2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति द्वारा उक्त सन्दर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया :-

(1) विद्यालय की पंजीकत सोसायटी का समय--समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व से विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हैं तथा विद्यालय की सम्बद्धता सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली / कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

(5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तो से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे

Rashmi

Principal
R.N. International Public School
Pallavpuram Phase-II, Meerut

Manager
R. N. International Public School
O. Pocket, Pallavpuram-II, Meerut

(7) राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

(8) विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(9) उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा-105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी

(10) उक्त शर्तों में राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2- विद्यालय द्वारा छात्रों से कॉशनमनी (सिक्योरिटी), भवन शुल्क (मेन्टीनेन्स), प्रवेश शुल्क, डोनेशन, मेनेजमेन्ट शुल्क, विकास शुल्क मदो में शुल्क नहीं लिया जायेगा।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार/मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(मंजू सिह)
संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

पृ0सं0-9784/मं0स0 (74)/2011 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- संयुक्त सचिव (शिक्षा-7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2- शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ।
4- प्रबन्धक, आर0एन0 इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, प्लाट न0-एच0एस0-पॉकेट ओ0, पल्लवपुरम फेज-2, मेरठ।

(मंजू सिंह)
संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

Principal
R.N. International Public School
Pallavpuram Phase-II, Meerut

Manager
R. N. International Public School
O. Pocket, Pallavpuram-II, Meerut

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ

पत्रांक / प्रबन्ध / 10504-07 / 2021-22 दिनांकः- 14/02/2022

(कार्यालय-आदेश)

कार्यालय पत्रांक / प्रबन्ध / मान्यता / 1055-59 / 2018-19 दिनांक 03.05.2019 के द्वारा आर0एन0 इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल पल्लवपुरम, मेरठ को नर्सरी से कक्षा-08 तक (अंग्रेजी माध्यम) को शैक्षिक सत्र-2019-20 से शैक्षिक सत्र 2021-22 तक तीन वर्ष के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान की गई थी।

विद्यालय प्रबन्धक के पत्र दिनांक 07.02.2022 के द्वारा उक्त मान्यता को स्थाई करने के अनुरोध किया है।

प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-418 / 79-6-2013-8 एस (7) / 89 शिक्षा अनुभाग-6, लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के प्रस्तर 13 में निम्नांकित प्रविधान दिया है।

"प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई हैं के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई है" का प्राविधान है।

उक्त संस्था के विरूद्ध कार्यालय को पिछले तीन वर्ष में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इस लिए कार्यालय पत्रांक / प्रबन्ध / मान्यता / 1055-59 / 2018-19 दिनांक 03.05.2019 द्वारा निर्गत मान्यता का शासनादेश में दिये गय प्राविधानों के अनुरूप स्थाई मान्यता समझा जाये।

(योगेन्द्र कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ।

पृ0सं0 / प्रबन्ध / 10504-07 / 2021-22 दिनांकः-

प्रतिलिपिः-निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक बेसिक उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ।
2. अपर शिक्षा निदेशक बेसिक, इलाहाबाद।
3. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रथम मण्डल, मेरठ।
4. प्रबन्धक, आर0एन0 इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल पल्लवपुरम, मेरठ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ।

Principal
R.N. International Public School
Pallavpuram Phase ...

Manager
R. N. International Public School
D. Pocket, Pallavpuram-II, Meerut